रतनसिंह बनाम रतन लाल वगैरह

यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण को आज ही न्यायालय के समक्ष नियत किये जाने हेतु पेश करने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने शीघ्र प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र बाबत् अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु पेश किया, प्रार्थना पत्र की प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट को दी गई। प्रार्थना पत्र बाबत् अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष विचाराधीन मूलवाद अपीलांट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.11.2018 को सशर्त विड्रो कर लिया हैं। चुॅकि उपरोक्त अपील 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् हैं जो सारहीन हो चुकी है। इसलिए उपरोक्त अपील को सारहीन होने से निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।